



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 978

बिलासपुर/दिनांक 3/04/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.-1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Laying Optical Fibre Cable from Ketma to Hadmor route in Korba district, area 0.813 ha. Regarding. Registration No. FP/CG/Others/16576/2015**

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./विविध/एल.एम./115-635/2104, दिनांक 26.08.2016 एवं वनमण्डलाधिकारी कटघोरा का पत्र क्र./तक./689 दिनांक 25.03.2017

—00—

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, रिटाइंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल में संरक्षित, नारंगी वनखण्ड एवं राजस्व वनक्षेत्र रकबा 0.813 हे. की मांग आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 35,000/- रुपये जमा कराये गये हैं।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.5 तक है एवं इसमें वृक्षों की संख्या निरंक है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :-
(iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने) हेतु मांग की जा रही वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।

- (iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
 6. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की नियमानुसार आवश्यकता नहीं है।
 7. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
 8. आवेदित भूमि का NPV की राशि में नियमानुसार आवश्यकता नहीं है।
 9. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।
 10. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
 11. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है।
 12. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार कुल 0.813 हे. वन भूमि की घनत्व 0.2 से 0.5 तक है। अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव शासन से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।
- संलग्न :- प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

पृ.क्र. /तक/ 979

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल (छ.ग.)।
2. महाप्रबंधक, रिलॉयस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, चौथी मंजिल, आफिस नं. 401-405, अंबुजामॉल रायपुर छ.ग.।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर
बिलासपुर, दिनांक 31/03/2017

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3


(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

-
14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। आवेदनकर्ता के द्वारा वनमण्डल कटघोरा में संरक्षित, नारंगी एवं राजस्व वन रकबा 0.813 हे. आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आवेदित वनभूमि का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।
15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित


मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर